

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
महत्वपूर्ण सूचना

नये सॉफ्टवेयर (Version II) में अनिवार्य रूप से Login करने के संबंध में।

सभी निबंधित व्यवसायियों को पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि दिनांक **15.12.2014** के प्रभाव से सभी प्रकार के **SUGAMS** विभागीय सॉफ्टवेयर के नये संस्करण **Version II** से निर्गत होगा।

विभागीय नये संस्करण में पहली वार **Login** करने हेतु निम्न सूचनाओं को **update** करना अतिआवश्यक है :-

- **Mobile No. (मोबाईल संख्या)**
- **E-mail Address (ईमेल पता)**
- **PAN (पैन)**

अतः सभी निबंधित व्यवसायियों से अनुरोध है कि वे सभी प्रकार के **SUGAMS** के ऑनलाईन निर्गमन की सुविधा अबाधित रूप से प्राप्त करने हेतु नये विभागीय सॉफ्टवेयर (**Version II**) में आवश्यक रूप से **Login** करना सुनिश्चित करें अन्यथा उन्हें ऑनलाईन **SUGAM** निर्गमन की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

2. **SUGAM G** एवं **SUGAM B** के ऑनलाईन निर्गमन हेतु व्यवसायियों का केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत निबंधित होना आवश्यक है।

पूर्व में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन ऑफलाईन निबंधित व्यवसायियों को विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से CST UPDATE कराते हुए ऑनलाईन निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

किसी प्रकार की समस्या होने पर विभागीय **HELP DESK** दूरभाष संख्या –

- **0651-6066005 / 0651-2446102** (सुबह 10:00 से संख्या 6:00 बजे तक)
- **0651-6999975 / 0651-6999976** (सुबह 10:00 से संख्या 8:00 बजे तक)
- **मोबाईल संख्या-7762837076 एवं 7762837078** (संध्या 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक) पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।